राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर

Email ID :- coronacontrolroomjodhpur@gmail.com Contact No. 0291-2650519

क्रमांक : आपदा प्रबंधन / 2020 / 16778 दिनांक 30.11.2020

—:आदेश:—

विषय:— गाईडलाइन्स (01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2020) के क्रियान्वयन आदेश

संदर्भ:— राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप—9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह—9 / 2019 जयपुर दिनांक 29 नवम्बर 2020।

जोधपुर जिले में कोविड—19 महामारी के विरूद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कम होने के पश्चात् पिछले एक माह में पुनः बढ़ने लग गई हैं। हाल ही में त्यौहार वैवाहिक समारोह, सर्दियों की शुरूआत और दिशानिर्देशों के पालन में कतिपय शिथिलता के कारण इस तरह की स्थिति बन रही है, जिससे स्वास्थ्य के बुनियादी ढ़ांचे पर दबाव पड़ रहा है।

कोविड—19 के विरूद्ध अब जन आंदोलन प्रारम्भ करना समय की मांग हैं। प्रत्येक नागरिक को सम्यक सावधानी बरतते हुए निगरानी, नियंत्रण और दिशा—निर्देशो के सख्त पालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन की जानी हैं।

संक्रमण के रोकथाम एवं इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश 40—3 / 2020—डीएम—I (ए) दिनांक 25 नवम्बर, 2020 द्वारा दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं।

तदनुसार जिला जोधपुर में कोविड—19 के फैलाव के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.12.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के लिये निम्नानुसार गाईडलाइन्स जारी की जाती हैं।

(क) निगरानी और कंटेनमेंट जोन:

(1) कन्टेनमेंट जोन में दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

(2) भेद्य एवं उच्च घटनाओं वाले (vulnurable and high incidence) क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन का प्रभावी सीमांकन, संक्रमण के ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये महत्वपूर्ण उपाय हैं। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृह मंत्रालय / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए एवं संक्रमण के प्रसार की कड़ी को प्रभावी रूप से तोड़ने के उद्देश्य से कन्टेनमेंट जोन का माइक्रो

लेवल पर उपयुक्त चिन्हिकरण कर वेबसाईट पर नोटिफाई किया जायेगा और इसकी सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा की जायेगी।

(3) कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कडे प्रतिबंध उपायों का सख्ती से निम्नानुसार अनुपालना करवाई जावे:-

(i) सभी इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स 25 नवम्बर 2020 को जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(ii) कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत की जावें।

(iii) कन्टेनमेंट जोन में यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा।

(iv) कन्टेनमेंट जोन्स में आवश्यकतानुसार **सघन सम्पर्क ट्रेसिंग, घर-घर निगरानी** तथा आवश्यकतानुसार अन्य आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां अमल में लायी जायेगी।

(v) ऐसे व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगो की सूची बनाई जाकर उनकी टेकिंग, पहचान एवं उन्हे 14 दिनों के लिए क्वारटाइन किया जायेगा। कोविड पॉजिटिव पाये गये व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगो मे से कम-से-कम 80 प्रतिशत की 72 घंटे में पहचान कर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। कोविड-19 रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर/उनके घरों में (गाईडलाईन की पालना की शर्त पर) तुरन्त आइसोलेट किया जावेगा।

(vi) कोविड-19 रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर/उनके घरों में (गाईडलाईन की पालना की शर्त पर) तुरन्त आईसोलेट किया जायेगा।

(vii) चिकित्सा विभाग हर दिन सभी सकारात्मक मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी के लिए RajCovidInfo ऐप डाउनलोड करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज घर पर रहता है तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर RajCovidInfo ऐप भी डाउनलोड करायेगा।

(viii) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कोविड क्वारंटाइन ट्रैकिंग अलर्ट सिस्टम (QTAS) और मरीज को कॉल करने के लिये 181 सेवा के उपयोग के बारे में आवश्यक आदेश जारी करेगा।

(ix) निर्धारित एवं आवश्यक नैदानिक हस्तक्षेप (Clinical Intervention) किया जावे।

(x) इन्फ्ल्यूएंजा लाइक इलनेस एवं सीवियर एक्यूट रेस्पीरेटरी इलनेस मामलों के लिए निगरानी (सर्विलेंस) स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों या बफर जोन में स्थित बुखार क्लिनिक के माध्यम से की जावे।

(xi) समुदायों में कोविड–19 से बचने के लिये उचित व्यवहार सम्बन्धी जागरूकता पैदा की जावे।

(xii) निर्धारित कन्टेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस और नगरनिगम/नगरपालिका अधिकारियों की होगी।

(xiii) संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे।

कन्टेनमेंट जोन्स में किसी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी।

(ख) स्थानीय प्रतिबंधः–

जोधपुर जिले के नगर–निगम क्षेत्र में रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे मे रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगें। बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि सांय 07 बजे बंद कर दिये जाये ताकि सम्बन्धित स्टॉफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 08:00 बजे तक अपने घर पहुंच जाये, जब तक कि इस हेतु जिला कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो।

यह गाईडलाईन्स निम्नांकित पर लागू नहीं होगीः–

1. वे फैक्ट्रीयां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
2. वे फैक्ट्रीया, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
3. आई.टी कम्पनियां।
4. कैमिस्ट शॉप।
5. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
6. विवाह सम्बन्धी समारोह।
7. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
8. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
9. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।

इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।

कार्यस्थल पर उपस्थिति

जोधपुर शहर की नगरीय सीमा में स्थित सभी कार्यस्थलों पर (राजकीय, स्वायत्त शासी, निजी कार्यालय इत्यादि) जहां कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक हैं, 75 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं 25 प्रतिशत कार्मिक Work from home करेंगे।

1. यह गाईडलाईन शासन सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी, सहायक सचिव, उप सचिव एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय, अस्पताल एवं चिकित्सा संबंधी संस्थापन एवं अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं पर भी यह गाईडलाईन्स लागू नहीं होगी।

2. सक्षम प्राधिकारी कोविड–19 के फेलाव को रोकने के उद्देश्य से स्थिति के अपने मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् स्थानीय प्रतिबंध यथा रात्रि कर्फ्यू लागू कर सकेंगे।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालयों में सामाजिक दूरी लागू करने की पालना करवाई जाए। उनके द्वारा जिन क्षेत्रों में साप्ताहिक केस की पॉजिटिव दर अधिक हैं, वहां कार्यालय समय को पारियों में लागू करने एवं अन्य उपयुक्त उपायों पर विचार किया जावेगा ताकि एक ही समय में लागू करने एवं अन्य उपयुक्त उपायों पर विचार किया जावेगा ताकि एक ही समय में कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों की संख्या में होने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी आने से सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके।

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (जिला/उपखण्ड/शहर/ग्राम स्तर पर) सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के लागू नहीं किया जायेगा।

(ग) इस अवधि के दौरान कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में, निम्न के अलावा सभी गतिविधियाँ अनुमत होगी:–

(1) विद्यार्थियों के लिये एवं नियमित कक्षा गतिविधियों के लिये सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक बंद रहेंगे।

निम्नांकित गतिविधियों की अनुमति जारी रहेगी:–

(क) ऑनलाइन /डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) विद्यालयों में ऑनलाइन अध्यापन/टेलीकाउन्सलिंग एवं संबंधित कार्यो के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पृथक से मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) के अनुसार 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा।

(ग) केवल कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थियों को माता–पिता/अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना आवश्यक होगी।

(घ) दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 से नर्सिंग एवं जीएनएम महाविद्यालय/विद्यालय अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन्स अनुसार खोले जायेंगे।

(ड़) मेडिकल महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियो के लिये महाविद्यालय 01 दिसम्बर, 2020 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुसार खोले जायेंगे।

(2) उच्च शैक्षणिक संस्थानों को केवल शोधार्थी (Ph.D) एवं विज्ञान व तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोतर विद्यार्थियों को प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्य से संबंधित कार्य करना होता हैं, के लिये 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति जारी की हुई हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

- केन्द्रीय वित पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रधानों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं का यह समाधान करेंगे कि शोधार्थी (Ph.D) एवं विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों के स्नातकोतर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्य की वास्तविक आवश्यकता हैं।
- अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों, जैसे कि जिले के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आदि को, केवल शोधार्थी (Ph.D) एवं विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोतर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों से संबंधित कार्य करना होता है, राज्य सरकार के निर्णयानुसार खोला जा सकेगा।

(3) सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान गतिविधियों हेतु 31 दिसम्बर 2020 तक बंद रहेंगे।

(4) सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम

तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक अनुमत नहीं होगा।

तथापि, कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में निम्नलिखित जारी रहेंगे:–

(1) अनिवार्य फेसमास्क पहनना, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेन्डवॉश और सेनेटाइजर के प्रावधानों के साथ विवाह संबंधी आयोजन।

आयोजनकर्ता द्वारा:–

- उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिमान्यतः ई–मेल द्वारा पूर्व सूचना देनी होगी।
- कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
- फेसमास्क पहनना अनिवार्य होगा " नो मास्क नो एन्ट्री" की सख्ती से पालना की जायेगी।
- स्केनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एव निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हेन्डवॉश एवं सेनेटाइजर के प्रावधान किये जायेंगे।
- सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हेंडल्स आदि की बार–बार सेनेटाइजिंग की जायेगी।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमन्त्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।

(2) अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सेनेटाइजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

तथापि, यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा संबंधित सक्षम प्राधिकारी को सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक/जन कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ आवेदन किया जायेगा तो सक्षम प्राधिकारी समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये निम्न शर्तों के अध्याधीन अनुमति प्रदान की जायेगी।

आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:–

(i) बंद स्थानों पर हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जावे।

(ii) खुले स्थान पर स्थल/जगह को ध्यान में रखते हुए 100 व्यक्तियो की सीलिंग रखी जावे।

प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट की दूरी (2 गज की दूरी) संधारित करेगा।

- सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "**नो मास्क नो एन्ट्री**" की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- **स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता** सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश एवं सेनेटाइजर का प्रावधान किया जायेगा।
- कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हेंडल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार–बार सफाई की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध हैं और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय हैं।

(घ) कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर अनुमत गतिविधियों हेतु लागू मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) की सख्ती से पालनाः–

1. कन्टेनमेंट जोन के बाहर, निम्न के अलावा जो कतिपय प्रतिबन्धों के साथ अनुमत हैं, सभी अन्य गतिविधियां अनुमत हैं:–

   i- गृह मंत्रालय द्वारा यथा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।

   ii- केवल तैराकी प्रतियोगिताओं से संबंधित स्पोर्ट्स पर्सन के प्रशिक्षण हेतु तरणतालों का उपयोग।

   iii- केवल बिजनेस से बिजनेस के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए प्रदर्शनी हॉल का उपयोग परन्तु इस हेतु हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति (जो भी कम हो) ही अनुमत होंगे।

2. विभिन्न अनुमत गतिविधियों के लिए मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) निर्धारित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु गतिविधि वार एसओपी की सूची को उनके वेबलिंक के साथ वेबसाईट http://covidinfo.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
3. संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) को सख्ती से लागू करवाया जावेगा एवं वे कड़ाई से पालना कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(ड़) कोविड–19 उपयुक्त व्यवहारः–

सभी सक्षम प्राधिकारी व सभी विभाग कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिये सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

1. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, **सार्वजनिक और कार्य स्थलों** पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी प्रशासनिक कार्यवाही की जावे।

2. भीड़–भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार की भीड़ को विनियमित करने के लिए मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) जारी करेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जावे।

3. विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिये एसओपी पहले से ही लागू हैं, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जावे।

4. कोविड–19 प्रबन्धन के लिए सामान्य सुरक्षा निर्देशों की पूरी राज्य में कड़ाई से पालना की जायेगी।

(च) कोविड–19 हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देशः–

सभी स्थलों एवं सभी क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित मानक सुरक्षा सावधानियाँ और प्रतिबंध लागू रहेंगेः–

(1) सार्वजनिक स्थानों में (In Public Place)

निम्नांकित सावधानियाँ सार्वजनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगाः–

- मुँह को ढ़कना (Face Covering) :– सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा " नो मास्क नो एन्ट्री" की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवायी जायेगी।
- सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानि ("2 गज की दूरी") बनाये रखेगा।
- सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध हैं और जुर्माने से दण्डनीय हैं।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय हैं।

- सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती हैं कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में हैं, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोये/सेनेटाइजर का उपयोग करे।

(2) **कार्यस्थलों में (At Work Place)**

कार्यस्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिये उपरोक्त बिन्दु संख्यां 1 अतिरिक्त निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियाँ निर्धारित की जाती हैं:–

- **घर से कार्य (WFH) :** जहाँ तक संभव हो सके घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।
- **कार्य/व्यवसाय के घंटों में अन्तराल रखना :** कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घंटो में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work/Business Hours)।
- **जाँच एवं स्वच्छता (Scanning and Hygine) :** सभी प्रवेश एवं निकास बिंदुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश तथा सेनेटाइजर का प्रबंध किया जावे।
- **बार–बार सेनेटाइजेशन करना :** संपूर्ण कार्यस्थलों, आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे दरवाजे के हेण्डल्स आदि का शिफ्टों के मध्य बार–बार सेनेटाइजेशन करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- **सामाजिक दूरी :** कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों में बदलनें में पर्याप्त अन्तराल तथा लन्च ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
- श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा निर्देशों की क्रियान्विति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 औश्र राजस्थान महामारी अधिनियम, 2000 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराई जायेगी।

(2) **दुकानों**:–

दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। **''नो मास्क नो सर्विस''** जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा।

(छ) आरोग्य सेतु का उपयोगः–

1. आरोग्य सेतु संक्रमण के संभावित जोखिम की शीघ्र पहचान में सक्षम बनाता है, और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक कवच का काम करता हैं।

2. सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्सटाल करने एवं उपयोग करने के लिए प्ररित एवं प्रोत्साहन करना चाहिए।

3. 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संगठन और व्यवसायिक संस्थाओं को AarogyaSetuOpenAPI सेवा (http://opwnapi.aarogyasetu.gov.in) का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता हैं। व्चमद ।च्प् सुविधा संगठन और कर्मचारियों को कोविड–19 जोखिम मुक्त वातावरण में काम पर लौटाने में सहायक होगी।

4. सक्षम प्राधिकारियों को आरोग्य सेतु एप को आमजन के मोबाइल फोन पर इन्सटॉल करने एवं उस पर नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अपडेट करने का परामर्श देना चाहिए। इससे उन व्यक्तियों को जो महामारी के जोखिम में हैं, को समय रहते चिकित्सा हेतु ध्यान देने के लिए सुविधा मिलेगी।

(ज) भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाहः

भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिये ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियाँ ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती हैं। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक हैं कि वे समय–समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

(झ) व्यक्तियों के आवागमन/परिवहन/पास

(1) वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से अनुमति/अनुमोदन/ई–परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन–यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाइजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टेक्सी, कैब, संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साइकल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।

(3) सिटी बसों (लोक परिवहन), मेट्रो रेल जारी की गई एसओपी के अनुसार अनुमत होंगे।

(4) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की **स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।**

(5) यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया **(SOP)** द्वारा नियमित किया जाना निरंतर जारी रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में किसी का भी उल्लंघन अपराध हैं और भारी जुर्माने के साथ **दण्डनीय हैं।**

(च) क्रियान्वयन मशीनरी

क्रियान्वयन मशीनरी विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी किये गये समसंख्यक आदेश के अनुरूप होगी।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/ 16779-855 दिनांक 30.11.2020

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त/पुलिस आयुक्त जोधपुर/महानिरीक्षक पुलिस रेंज, जोधपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/आसूचना/पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय, जोधपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर।
4. आयुक्त/समस्त उपायुक्त नगर निगम /जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
5. अपर जिला कलक्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहर—प्रथम/द्वितीय, जोधपुर/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/प्रोटोकॉल अधिकारी/जिला रसद अधिकारी, शहर जोधपुर।
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी/समस्त तहसीलदार/थानाधिकारी जिला जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्राचार्य, डॉ. एस.एन.मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, जोधपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जोधपुर।
10. निजी सहायक, गोपानीय शाखा, जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर—प्रथम, जोधपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

अपर जिला कलक्टर
जोधपुर